



दिनांक : 13 नवम्बर, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 30.09.2019 को आयोजित हुई 77वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की दिनांक 30.09.2019 को हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिए गए निम्नलिखित निर्णय/सुझाव जो के.ज.आ. से भी संबंधित हैं, सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किए जाते हैं:-

1. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) एवं नियम-5 का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाए अर्थात् धारा 3(3) के तहत जारी सभी कागजात अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किए जाएं और हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिया जाए।
2. ई-मेल द्वारा यथासंभव पत्राचार हिंदी में किया जाए।
3. 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों द्वारा मूल पत्राचार शत-प्रतिशत हिंदी में ही किया जाए।

आपसे अनुरोध है कि उक्त मदों पर की गई कार्रवाई से हिन्दी अनुभाग को भी अवगत कराया जाए ।

(रजिन्दर पॉल)

उप निदेशक (राजभाषा)
टेलीफोन नं 29583720

1. सभी मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, के. ज. आ.
2. सचिव, के. ज. आयोग
3. निदेशक (एसएमडी), के.ज.आ.
4. निदेशक (नदी प्रबंध समन्वय, जल आयोजना एवं परियोजना, अभिकल्प एवं अनुसंधान)
5. सभी अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. अध्यक्ष, के.ज.आ. के प्रधान निजी सचिव।
2. सदस्य, नदी प्रबंध, जल आयोजना एवं परियोजना तथा अभिकल्प एवं अनुसंधान के निजी सचिव, के.ज.आ.
3. संयुक्त सचिव, के.ज.आ. के प्रधान निजी सचिव।
4. सहायक निदेशक (रा.भा.), ज.सं., न.वि. और गं.सं. विभाग, श्रमशक्ति भवन, नई दिल्ली।
5. उप निदेशक (एसएमडी), के.ज.आ. को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे के.ज.आ. की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

